डिस्कलेमर

आदेश संख्या 42/2022-23 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/वॉल्यूम- VIII (खंड फाइल)

भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

आदेश संख्या 42/2022-23

ऐरा भवन
प्रशासनिक कॉम्पलेक्स
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 23 मार्च, 2023

विषय : स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाओं संबंधी दिनांक 23.09.2022 के आदेश संख्या 24/2022-23 के मामले में-मौजूदा टैरिफ (31.03.2023 को विद्यमान) जारी रखने के लिए अंतरिम व्यवस्था।

यह नीचे तालिका में सूचीबद्ध निम्नलिखित स्वतंत्र सेवा प्रदाता(ओं)/हवाईअड्डा प्रचालकों के संबंध में मौजूदा टैरिफ 31.03.2023 के बाद भी वसूल करने की अंतरिम व्यवस्था को बढ़ाने के संबंध में है:-

क्र. सं.	सेवा प्रदाता का नाम	हवाईअड्डा
(क)	कार्गो सेवाएं	
1	एक्सप्रेस इंडस्ट्री काउंसिल ऑफ इंडिया	बैंगलुरू
2	जीएमआर हैदराबाद एयर कार्गो (पूर्व में हैदराबाद मैन्जाइस एयर कार्गो)	हैदराबाद
3	मैन्जाइस एविएशन बोब्बा प्राइवेट लिमिटेड	बैंगलुरू
4	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईई)	कालीकट
5	केरल स्टेट इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड (केएसआईई)	त्रिवेन्द्रम
6	टीआरवी (केरल) इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (टीआईएएल)	त्रिवेन्द्रम
7	राजस्थान स्माल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड	जयपुर
8	कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	कन्नूर
9	लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	लखनऊ
10	एआई सैट्स एयरपोर्ट्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (एआईएसएटीएस)*	बैंगलुरू
11	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस)	चैन्ने
12	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस)	मैंगलोर
13	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस)	श्रीनगर
14	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एआईसीएलएएस)	त्रिची

15	कार्गो सर्विस सेन्टर (सीएससी)	अहमदाबाद
(ख)	**फ्यूल फार्म और आईटीपी सेवाएं**	
16	बीपीसीएल कन्नूर फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	कन्नूर
(ग)	**ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं**	
17	सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड**	कन्नूर
18	सैलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	अहमदाबाद
19	सैलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड	मोपा, गोवा
20	ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पटना) प्राइवेट लिमिटेड	पटना
21	ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (पुणे) प्राइवेट लिमिटेड	पुणे
22	ग्लोबल फ्लाइट हैंडलिंग सर्विसेज (रायपुर) प्राइवेट लिमिटेड	रायपुर
23	इंडो थाई एयरपोर्ट मैंनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	गुवाहाटी
24	इंडो थाई एयरपोर्ट मैंनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	जयपुर
25	इंडो थाई कोलकाता प्राइवेट लिमिटेड	कोलकाता
26	इंडो थाई कालीकट प्राइवेट लिमिटेड	कालीकट
27	इंडो थाई वाराणसी प्राइवेट लिमिटेड	वाराणसी
28	इंडो थाई पुणे प्राइवेट लिमिटेड	पुणे
29	इंडो थाई भुवनेश्वर प्राइवेट लिमिटेड	भुवनेश्वर
30	इंडो थाई अमृतसर प्राइवेट लिमिटेड	अमृतसर
31	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल)	चैन्ने
32		कालीकट
33		कोलकाता
34		अहमदाबाद
35		कोचीन
36		गुवाहाटी
37		अमृतसर
38		भुवनेश्वर
39		चंडीगढ़
40		गोवा
41		जयपुर
42		पटना
43		पुणे
44		वाराणसी
45		लखनऊ

** 23.05.2023 तक अर्थात मौजूदा रियायत की वैधता तक बढ़ाई गई।*

*** 31.08.2023 तक अर्थात मौजूदा रियायत की वैधता तक बढ़ाई गई।*

2. कार्गो हैंडलिंग, ग्राउंड हैंडलिंग और विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाओं के संबंध में कुछ स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों से एमवाईटीपी/एटीपी प्रस्ताव प्राधिकरण को प्राप्त हो चुके हैं। इन प्रस्तावों के संबंध में टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया विभिन्न स्तरों पर जारी है। परंतु कुछ स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/ हवाईअड्डा प्रचालकों से एमवाईटीपी अभी भी प्रतिक्षित है।

3. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण को लगता है कि पूर्वोक्त सेवा प्रदाताओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में प्राधिकरण यह निर्णय लेता है कि उपर्युक्त तालिका के अनुसार स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों को 31.03.2023 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली 01.04.2023 से 30.09.2023 तक अगले छ: (6) माह की अवधि, या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति दी जाए।

आदेश

उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकरण भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1) (ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि :-

(i) उपर्युक्त तालिका में सूचीबद्ध किए अनुसार विभिन्न प्रमुख हवाईअड्डों पर कार्गो/ग्राउंड हैंडलिंग/ विमान में ईंधन की आपूर्ति संबंधी सेवाएं प्रदान करने वाले **स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं/हवाईअड्डा प्रचालकों** को 31.03.2023 को लागू मौजूदा टैरिफ की वसूली **01.04.2023 से 30.09.2023 तक** अगले छ: (6) माह की अवधि, या उनकी संबंधित नियंत्रण अवधियों के लिए ऐरा द्वारा नियमित टैरिफ निर्धारित किए जाने तक, जो भी पहले हो, जारी रखने की अनुमति दी जाती है।

(ii) हवाईअड्डा प्रचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके संबंधित 'प्रमुख हवाईअड्डों' पर प्रचालन कर रहे संबंधित स्वतंत्र सेवा प्रदाताओं द्वारा एमवाईटीपी/एटीपी समय पर प्रस्तुत किया जाए।

(iii) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता

(कर्नल मनु सूदन)
सचिव

सेवा में,

स्वतंत्र सेवा प्रदाता/हवाईअड्डा प्रचालक – (संलग्नक I और II के अनुसार)

प्रतिलिपि

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003 को सूचनार्थ।